

दिनांक 11 मई, 2020 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-2 के खण्ड (क) में अवश्य प्रकाशित किया जाय।

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या-354/79-वि-1-20-2(क)10/2020

ताखनऊ: दिनांक: 11 मई, 2020

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन् 2020) जिससे कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है प्रख्यापित किया गया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

(यहाँ पर नक्की किया हुआ छापा जाय)

आज्ञा से,

जे०पी० सिंह-II


प्रमुख सचिव ।

संख्या- 654 (1)/79-वि-1-20-2(क)10/2020, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मा० मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
- 2- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3- अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
- 4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुरा सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
- 6- प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 7- सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश।
- 8- संसदीय कार्य अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश सचिवालय।
- 9- विधि परामर्शी पुस्तकालय, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
- 10- भाषा अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
- 11- विधायी अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

आज्ञा से,



(अरविन्द कुमार मिश्रा-II)

विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2020

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या...9...सन् 2020)
(भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित)

अध्यादेश

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं:—

- | | |
|--|--|
| संक्षिप्त नाम | 1 यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 कहा जायेगा। |
| उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964 की धारा 2 का संशोधन | 2 उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा-2 में खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड (छ) बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:—
(छ) "उपभोक्ता प्रभारों" का तात्पर्य वस्तु अथवा सेवा के प्रतिफल में संदत्त धनराशि से है। |
| धारा 7 का संशोधन | 3 मूल अधिनियम में, धारा 7 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के प्रतिबंधात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:—
प्रतिबन्ध यह है कि इस खण्ड के उपबन्ध का कोई प्रभाव, निम्नलिखित पर नहीं होगा:—
1- मण्डी उप स्थल,
2- सीधा विपणन,
3- निजी मण्डी स्थल,
4- एकीकृत लाइसेन्स के माध्यम से व्यापार,
5- न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अधीन कय केन्द्र,
6- निदेशक, मण्डी परिषद द्वारा अनुमोदित डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से व्यापार,
प्रतिबन्ध यह है कि मण्डी समिति अथवा निदेशक, कृषि विपणन द्वारा जारी लाइसेंस, घोषित एवं निर्मित प्रधान मण्डी स्थल/उप मण्डी स्थल से विनिर्दिष्ट दूरी के अन्तर्गत नहीं होंगे, जैसा कि निदेशक मण्डी परिषद द्वारा अवधारित किया जाय। |
| धारा 7(क) का संशोधन | 4 मूल अधिनियम की धारा 7 क में, उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:—
(3) घोषित मण्डी उप स्थल में ऐसे भाण्डागार/साइलो/शीतगृह या अन्य संरचना या स्थान पर संव्यवहृत करने वाले व्यक्ति को, संव्यवहृत अधिसूचित कृषि उत्पाद के मूल्य पर मण्डी समिति को लागू मण्डी शुल्क के 75 प्रतिशत का |

भुगतान करना होगा। मण्डी उप स्थल का स्वामी/ लाइसेंसधारी, विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद पर प्रयोक्ता प्रभार के रूप में ऐसे मण्डी शुल्क के पच्चीस प्रतिशत तक की धनराशि उदग्रहीत और संग्रहीत कर सकता है जिसे उक्त स्थल के अनुरक्षण तथा विकास के लिये व्यय किया जा सकता है।

नई उप धारा 7-ड का बढ़ाया जाना

5 मूल अधिनियम में, धारा 7-घ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:-

धारा 7(ड) उत्पादक-उपभोक्ता मण्डी स्थल की स्थापना (उत्पादक द्वारा उपभोक्ता को फुटकर सीमा के अन्तर्गत कृषि उत्पाद का विक्रय किया जाना)

(1) विहित शुल्क, शर्तों एवं निर्बंधनों के अध्यक्षीन शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ऐसे सम्बंधित व्यक्ति को लाइसेंस जारी कर सकता है, जो उत्पादक-उपभोक्ता मण्डियाँ स्थापित करें, जिनमें विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद का फुटकर व्यापार हो सके।

(2) लाइसेंसधारी यथा विहित रूप में उत्पादक एवं उपभोक्ता के पहुँच के भीतर उत्पादक-उपभोक्ता मण्डी में अवसंरचना स्थापित एवं विकसित कर सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि उपभोक्ता फुटकर सीमा के अन्तर्गत क्रय करेगा।

धारा 9-क का संशोधन

6 मूल अधिनियम की धारा 9-क में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:-

(1) कोई मण्डी समिति, जो मुख्य मण्डी समिति होगी, कृषकों एवं व्यापारियों से विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद का क्रय करने के लिए उपविधियों में यथाविहित रीति से, सम्पूर्ण राज्य में पूर्व संसूचित स्थलों पर, निम्नलिखित में से एक या अधिक प्रयोजनों के लिए एकीकृत लाइसेंस स्वीकृत कर सकती है-

(क) विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद का प्रसंस्करण,

(ख) विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद का व्यापार,

(ग) विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद का मूल्य संवर्धन करके अन्य रीति से ग्रेडिंग, पैकिंग और संव्यवहरण।

धारा 17 का संशोधन

7 मूल अधिनियम की धारा 17 में, खण्ड (तीन) में, उपखण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-

(ग) राज्य सरकार द्वारा यथा विहित रूप में प्रधान मण्डी स्थल/उप मण्डी स्थल/मण्डी उप स्थल में प्रदत्त वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रतिफल स्वरूप मण्डी समिति द्वारा प्रयोक्ता प्रभार उदग्रहीत तथा संग्रहीत किया जायेगा।

आनंदीबेन पटेल
राज्यपाल
उत्तर प्रदेश

TO BE PUBLISHED IN PART-II (a) OF THE LEGISLATIVE SUPPLEMENT
OF THE U.P. GAZETTE EXTRAORDINARY, DATED MAY 11 , 2020
POSITIVELY

UTTAR PRADESH SHASAN
VIDHAYI ANUBHAG- 1
No. 654 (3) /79-V-1-20-2(ka)10/2020
Lucknow: Dated: May 11 , 2020

NOTIFICATION
Miscellaneous

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Sanshodhan) Adhyadesh, 2020 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 9 of 2020) promulgated by the Governor. The Krishi Vipanan Evam Krishi Videsh Vyapar Anubhag-1 is administratively concerned with the said Ordinance.

(Here print the annexed)

By order,


J.P. Singh-II
Pramukh Sachiv.

NO. 654 (3)/79-V-1- 20-2(Ka)10/2020 of date

Copy forwarded for information and necessary action to , -

1. Mukhya Mantri, Uttar Pradesh.
2. Mukhya Sachiv, Uttar Pradesh Shasan.
3. Apar Mukhya Sachiv, Sri Rajyapal, Uttar Pradesh.
4. Apar Mukhya Sachiv /Pramukh Sachiv, Krishi Vipanan Evam Krishi Videsh Vyapar Anubhag-1 , Uttar Pradesh Shasan.
5. Pramukh Sachiv, Vidhan Sabha , Uttar Pradesh.
6. Pramukh Sachiv, Vidhan Parishad, Uttar Pradesh.
7. Soochna Nideshak, Uttar Pradesh.
8. Sansadiya Karya Anubhag-1
9. Vidhi Paramarshi Pustakalaya, Uttar Pradesh Sachivalaya.
10. Bhasha Anubhag-5, Uttar Pradesh Sachivalaya.
11. Vidhayi Anubhag-2, Uttar Pradesh Sachivalaya

By order,


(Arvind Kumar Mishra-II)
Vishesh Saachiv Evam
Upper Vidhi Paramarshi.

THE UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI

(SANSHODHAN) ADHYADESH, 2020

(U.P. Ordinance No. ...9...of 2020)

(Promulgated by the Governor in the seventy first Year of the Republic of India)

AN

ORDINANCE

further to amend the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:-

- Short title** 1. This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Sanshodhan) Adhyadesh 2020.
- Amendment of section 2 of U.P. Act no. 25 of 1964** 2. In section 2 of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam 1964, hereinafter called as the principal Act, after clause (ee), the following new clause (ff) shall be inserted, namely :-
(ff) "User charges" means the amount paid in consideration of material or service.
- Amendment section 7** 3. In the principal Act for the proviso to clause (b) of subsection (2), of section 7 the following proviso shall be substituted, namely:-
Provided that the provisions of this clause shall have no effect on the following –
1- Market sub yard,
2- Direct Marketing,
3- Private Mandi Yard,
4- Trade through Unified License,
5- Purchase Centres under minimum support price scheme,
6- Trade through digital platform approved by Director, Mandi Parishad,
Provided that the licenses issued by Mandi Samiti or Director Agriculture Marketing shall not be within the specified distance from the declared and constructed principal market yard/ sub market yard, determined by Director Mandi Parishad

- Amendment of section 4. In section 7-A of the principal Act, for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:-
(3) The person transacting within such warehouse silo/ cold storage or other structure or place, in declared market sub-yard, shall have to pay 75% of the applicable market fee to the market committee on the value of transacted notified agriculture produce. The owner/licensee of the market sub-yard may levy and collect upto 25% of the market fee as user charge on the specified agriculture produce, which can be spent for maintenance and development of the yard.
- Insertion of new sub section 7-E 5. In the principal Act after section 7-D, the following new section shall be inserted, namely:-
7-E. Establishment of Producer Consumer market yard (Sale of agriculture produce within retail limit by producer to the consumer).-
(1) Subject to prescribed fee, conditions and restrictions, the officer authorised by the Government may issue license to the concerned person who establish producer consumer markets in which retail trade of specified agriculture produce can take place.
(2) The licensee may establish and develop the infrastructure in the producer consumer market, within the reach of producer and consumers, as may be prescribed Provided that the consumer shall purchase within the retail limit.
- Amendment of section 9-A 6. In section 9-A of the principal Act, for sub-section(1) the following sub-section shall be substituted, namely:-
(1) Any Market Committee, which shall be main mandi samiti, may grant unified license to purchase specified agriculture produce from the farmers and traders in such a manner as may be prescribed in the bye laws, in the pre-communicated places in the whole State, for one or more of the following purposes :-
(a) processing of specified agriculture produce;
(b) trading of specified agriculture produce;
(c) grading, packing and transaction in other way by value addition of specified agriculture produce.
- Amendment of section 17. 7. In section 17 of the principal Act in clause (iii) after sub-clause (b) the following sub- clause shall be inserted, namely:-
(c). User charge shall be levied and collected by the market committee in consideration to the rendered material or services in the principal market yard/sub market yard / market sub-yard, as prescribed by the state government.

Anandiben patel
Governor
Uttar pradesh